



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 14.05.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने 03 अभियुक्तों को कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.भारत सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम अल्लाहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब, 2.सन्तोष कुमार पुत्र किशन प्रकाश व 3.देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रमेश सिंह निवासीगण ग्राम औरंगजेबपुर शाहली उर्फ नया गांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना नगीना देहात पर आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के अन्तर्गत मु०अ०सं० 116/25 बनाम भारत सिंह, मु०अ०सं० 117/25 बनाम सन्तोष व मु०अ०सं० 118/25 बनाम देवेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

- 1.भारत सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम अल्लाहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.सन्तोष कुमार पुत्र किशन प्रकाश नि० ग्राम औरंगजेबपुर शाहली उर्फ नया गांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रमेश सिंह नि० ग्राम औरंगजेबपुर शाहली उर्फ नया गांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

तीनों अभियुक्तगण से कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० संदीप कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
3. हे०का० 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
4. हे०का० 462 शैलेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
5. हे०का० 162 हरमीत कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
6. का० 2479 निखिल थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 14.05.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 165/25 धारा

190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/125/351(3)/352 बीएनएस व धारा 7

आपराधिक कानून अधिनियम से संबंधित 10 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.05.2025 को उ0नि0 श्री सुशील पंवार तैनाती थाना नूरपुर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि कस्बा नूरपुर के चरन दा ढाबा पर प्रथम पक्ष के 1.परोपकार सिंह पुत्र सतनाम सिंह, 2.टिंकू सिंह गौड पुत्र गुरनाम सिंह गौड निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर आदि व द्वितीय पक्ष के 1.नीटू जोशी पुत्र लक्ष्मीनारायण मौ0 कबीरनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 2.अंकित पुत्र घनानन्द शर्मा व 3.मोनू पुत्र निर्देश सिंह आदि व्यक्तियों द्वारा आपस में गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डो आदि से मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के 13 नामित तथा 30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 165/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/125/351(3)/352 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.परोपकार सिंह पुत्र सतनाम सिंह, 2.टिंकू सिंह गौड पुत्र गुरनाम सिंह गौड निवासीगण मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 3.ईश्वर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मौ0 कबीरनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 4. मलकीत पुत्र अमृत सिंह 5.बरीयाम सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासीगण मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 6.मोनू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 7.अंकित पुत्र घनानन्द शर्मा, 8.मोनू पुत्र निर्देश सिंह, 9.सत्यम जोशी पुत्र राजेन्द्रनाथ जोशी, 10.सचिन जोशी पुत्र घनानन्द शर्मा निवासीगण मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.परोपकार सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 2.टिंकू सिंह गौड पुत्र गुरनाम सिंह गौड निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर बिजनौर।
- 3.ईश्वर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मौ0 कबीरनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

- 4.मलकीत पुत्र अमृत सिंह निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.बरीयाम सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.मोनू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 7.अंकित पुत्र घनानन्द शर्मा निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 8.मोनू पुत्र निर्देश सिंह निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 9.सत्यम जोशी पुत्र राजेन्द्रनाथ जोशी निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 10.सचिन जोशी पुत्र घनानन्द शर्मा निवासी मौ0 गोविन्दनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त अंकित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 123/2016 धारा 323/504/506/325/341 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 165/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/125/351(3)/352 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त सचिन जोशी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 123/2016 धारा 323/504/506/325/341 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 165/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/125/351(3)/ 352 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार अन्य अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 165/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/125/351(3)/352 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ.नि. श्री रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे.का. 166 अंकुश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.हे.का. 538 सतीश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 2541 अंकित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 1874 नीरज थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 7.का0 11 गौरव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 8.का0 1886 अमित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 9.का0 1649 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 14.05.2025

**थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 114/2025 धारा 305(A)/317(2)/331/352/351(3) बीएनएस में
वांछित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.05.2025 को वादिया श्रीमती रीना देवी पत्नी संदीप कुमार निवासी ग्राम हमीदपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.कामेन्द्र 2.विशेष पुत्रगण नरमू सिंह 3.लक्की पुत्र कामेन्द्र 4.पवन पुत्र सुरेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण ग्राम हमीदपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने वादिया के घर से सोने-चांदी के जेवर,इन्वर्टर-बैटरा,एलसीडी,छत के दो पंखे ,एक गैस सिलेण्डर तथा म्यूजिक सिस्टम आदि सामान चोरी कर लिये तथा वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 305(A)331/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 14.05.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों लक्की पुत्र कामेन्द्र व पवन पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम हमीदपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी किए गये इन्वर्टर,बैटरा,गैस सिलेण्डर व स्टैपलाइजर सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

- 1.लक्की पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम हमीद पुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.पवन पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हमीद पुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

चोरी किये गये इन्वर्टर,बैटरा,गैस सिलेण्डर व स्टैपलाइजर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1345 विक्रान्त राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1858 मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 14.05.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामअवतार कौशिक पुत्र राकेश प्रसाद कौशिक निवासी ग्राम गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 410/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

कौशिक पुत्र राकेश प्रसाद कौशिक निवासी ग्राम गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विनोद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी सुनील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 14.05.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 15 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 15 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	किरतपुर	ओमप्रकाश पुत्र घिस्सू नि० सुरानंगली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2	किरतपुर	मुस्ताक पुत्र मुन्ने नि० ग्राम उमरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3	किरतपुर	नोनित पुत्र बब्लू नि० ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
4	किरतपुर	पंकज उर्फ लुग्गा पुत्र चन्दू नि० ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5	किरतपुर	सत्यवीर पुत्र विजयपाल नि० ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
6	किरतपुर	आलोक पुत्र सुभाषचन्द नि० ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
7	किरतपुर	मुस्तफाक पुत्र हसीनुद्दीन निवासी ग्राम नगला इस्लाम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
8	किरतपुर	निर्वेष पुत्र जयराम निवासी ग्राम नगला इस्लाम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
9	किरतपुर	मोनू पुत्र घसीटा निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
10	किरतपुर	सुशील पुत्र घसीटा निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
11	किरतपुर	तेजपाल पुत्र परसादी निवासी भनेडा थाना किरतपुर बिजनौर ।
12	नगीना	बाबू पुत्र प्रभु सिंह नि० मौ० आजाद कॉलोनी लाइनपार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
13	नगीना देहात	सुमेर पुत्र झगडू निवासी ग्राम जोगिरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
14	नगीना देहात	कुलवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम जोगिरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
15	नगीना देहात	तसलीम पुत्र वजीर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 14.05.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान छिनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण (01 घायल अवस्था में) को अवैध शस्त्र, छीना गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.05.2025 को वादी मौ० उवेश पुत्र अतीक अहमद निवासी मौ० अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.05.2025 को वह अपने साथी शाहिद पुत्र सोबिर के साथ कॉलेज से पेपर देकर वापस किरतपुर जा रहा था । इसी दौरान समय करीब 16.20 बजे ग्राम बिलासपुर के निकट 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश पीछे से आकर वादी का मोबाइल फोन वीवो जैड 1 प्रो छीनकर भाग गये । इस सम्बन्ध में थाना मंडावर पर मु०अ०सं० 85/2025 धारा 304 बी०एन०एस० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 03 अभियुक्तगण 1.विकुल उर्फ पाटल पुत्र रामेन्द्र निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.आर्यन पुत्र सुनील निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3.शंकर दयाल पुत्र ओमकार निवासी ग्राम बिलासपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 14.05.2025 की रात्रि में थाना मंडावर पुलिस किशनवास नहर पुलिया पर गस्त कर रही थी । इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 03 व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर तेजी से भागे । पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया । घायल अभियुक्त ने अपना नाम विकुल उर्फ पाटल पुत्र रामेन्द्र निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर बताया तथा अन्य 02 अभियुक्तों ने अपना नाम 1.आर्यन पुत्र सुनील निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.शंकर दयाल पुत्र ओमकार निवासी ग्राम बिलासपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर बताया । अभियुक्तगण के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, छीना गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल / मोबाइल फोन बरामद किया गया । पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 13.05.2025 को उन्होंने थाना मण्डावर क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर के पास एक युवक से मोबाइल फोन छीना था । पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 87/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता —

- 1.विकुल उर्फ पाटल पुत्र रामेन्द्र निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर (घायल अवस्था में)
- 2.आर्यन पुत्र सुनील निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
- 3.शंकर दयाल पुत्र ओमकार निवासी ग्राम बिलासपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी —

एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
छीना गया मोबाइल फोन
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल / मोबाइल फोन

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास —

अभियुक्त विकुल उर्फ पाटल का आपराधिक इतिहास —

- 1.मु0अ0सं0 84 / 2022 धारा 323 / 324 / 504 / 506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 101 / 2024 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 266 / 2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 05 / 2025 धारा 305(ए) / 317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु0अ0सं0 16 / 2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 6.मु0अ0सं0 85 / 2025 धारा 309(4) / 317(2) बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 7.मु0अ0सं0 87 / 25 धारा 109(1) / 312 / 313 / 3(5) बीएनएस व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त आर्यन का आपराधिक इतिहास —

- 1.मु0अ0सं0 39 / 23 धारा 376 भादवि व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 85 / 2025 धारा 309(4) / 317(2) बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 87 / 25 धारा 109(1) / 312 / 313 / 3(5) बीएनएस व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त शंकर दयाल का आपराधिक इतिहास —

- 1.मु0अ0सं0 245 / 19 धारा 323 / 504 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 27 / 25 धारा 308(4) / 127(2) / 115(2) / 117(2) बी0एन0एस0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 85 / 2025 धारा 309(4) / 317(2) बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 87 / 25 धारा 109(1) / 312 / 313 / 3(5) बीएनएस व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम —

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सरोज, थाना मंडावर जनपद बिजनौर मय टीम ।
- 2.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट जनपद बिजनौर मय टीम ।
- 3.उ0नि0 श्री योगेश कुमार प्रभारी सर्विलांस जनपद बिजनौर मय टीम ।